इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2011—ज्येष्ठ 27, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1)	मध्यप्रदेश विधेयक,	(2)	प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3)	संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1)	अध्यादेश,	(2)	मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3)	संसद के अधिनियम.
(ग)	(1)	प्रारूप नियम,	(2)	अन्तिम नियम.		

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक— 8 जून, 2011

क्रमांक — 1807 /मप्रविनिआ/2011, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 10(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उत्पादक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण) विनियम, 2011

प्रस्तावना

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना क्रमांक एल–7/138/153/2008–सीईआरसी दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 द्वारा अधिसूचित विनियमों अर्थात्, **CERC (Furnishing of Technical Details by the Generating Companies) Regulations, 2009** में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसी प्रत्येक विद्युत उत्पादक कंपनी, जो कथित विनियमों को लागू होने की तिथि को किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन का संचालन कर रही हो या इसकी स्थापना करने जा रही हो, जैसा कि इसका उल्लेख विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) की कण्डिका (ए) तथा (बी) में किया गया है, वह कथित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रपत्र ए,बी, तथा सी में विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा संचालित ताप, जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के संबंध में अद्यतन विवरण प्रस्तुत करेगी।

तदनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा, उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार, मप्रविनिआ (विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण) विनियम, 2011 मध्यप्रदेश राज्य स्थित ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादकों द्वारा परिपालन हेतु विनिर्दिष्ट करता है। कथित उपबंधों के अंतर्गत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत, अर्थात, बायोमास, बायोगैस, बगास आधारित विद्युत सह–उत्पादन, लघु जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर पीवी,सौर ताप विद्युत स्टेशन भी शामिल किये गये हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक, तथा प्रारम्भ** : 1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उत्पादक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण) विनियम, 2011 (जी–37, वर्ष 2011)"** कहलायेंगे ।

   1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

   1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

2. **परिभाषाएं :**

जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,

(ए) **"अधिनियम (Act)"** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) **"आयोग (Commission)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission);

(सी) **"विद्युत उत्पादक कम्पनी (Generating Company)"** से अभिप्रेत है कोई कंपनी या निगम निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो जो किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्वामी हो या उसे प्रचालित करता हो या उसका रख–रखाव करता हो;

(डी) **"उत्पादन (Generate)"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन से किसी परिसर के लिये विद्युत का उत्पादन करना या उसे विद्युत प्रदाय प्रयोजन हेतु सामर्थ्य प्रदान करना;

(ई) **"विद्युत उत्पादक स्टेशन (Generating Station)" या "स्टेशन (Station)"** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन हेतु निर्मित एक निर्धारित स्थल या स्टेशन, जिसके अन्तर्गत भवन तथा संयत्र मय स्टेप–अप ट्रांसफार्मर (Step-up Transformer), स्विचगियर, (Switchgear) स्विच–यार्ड (Switch yard) केबल (Cable) अथवा अन्य संबद्ध उपकरण (appurtenant equipment) यदि कोई हों, शामिल होंगे जिनका प्रयोग इस प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो या इससे संबंधित कोई कार्यस्थल हो; एक ऐसा कार्यस्थल हो जिसका उपयोग विद्युत उत्पादक स्टेशन की भांति किया जा रहा हो या कोई भवन हो जहां विद्युत उत्पादन स्टेशन के प्रचालन संबंधी पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन बाबत आश्रय की व्यवस्था की गई हो तथा जहां विद्युत का उत्पादन जल–शक्ति के माध्यम से किया जा रहा हो तथा इसमें पेनस्टॉक (Penstock), शीर्ष तथा निचले कार्य (Head & Tail works), मुख्य तथा नियंत्रक जलाशय (Main and Regulating Reservoirs), बांध (Dam) तथा अन्य द्रव–यांत्रिकी कार्य (hydraulic works) शामिल होंगे, परन्तु इनमें किसी प्रकार के उप–केन्द्र (Sub-Station) शामिल नहीं होंगे :

3. **जानकारी का प्रस्तुतिकरण (Submission of Information):** प्रत्येक विद्युत उत्पादक कम्पनी, जो इन विनियमों की लागू होने की तिथि को प्रचालन में है अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उपधारा (1) की कण्डिका (a) तथा (b) में उल्लेख किये गये अनुसार विद्युत उत्पादक स्टेशन की स्थापना कर रही है, आयोग को निर्दिष्ट प्रपत्रों, A, B, C (i) से (v) में अद्यतन विवरण जैसा कि वह विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकार को लागू हो, उसके स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रत्येक चरण (Stage) के संबंध में प्रतिवर्ष दिनांक 1

अप्रैल की स्थिति में, दिनांक 30 अप्रैल तक, ऐसे विवरणों की साफ्ट प्रतिलिपि के साथ पृथक से प्रस्तुत करेगी :

बशर्ते यह कि, एक विद्युत उत्पादक कंपनी के प्रकरण में (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों को छोड़कर), जो इन विनियमों के लागू होने के पश्चात, एक विद्युत उत्पादक स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती हो, वह इसे विशिष्ट विवरणों के साथ प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तावित स्थापित किये जाने वाले विद्युत उत्पादक स्टेशन की प्रथम इकाई की प्रक्षेपित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Projected Date of Commercial Operation) से कम से कम तीन वर्ष पूर्व इसे प्रस्तुत करेगी ।

बशर्ते यह भी कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, संबंधित विवरण इसे अन्तिम किये जाने पर तत्काल प्रस्तुत किये जाएंगे जिसे इसके क्रियाशील होने की निर्धारित तिथि (Scheduled date of Commissioning) के न्यूनतम छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

4. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

आयोग इन विविनयमों के किसी भी उपबंध को मूर्त रूप देने में आ रही कठिनाईयों को किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दूर कर सकेगा ।

5. संशोधन हेतु शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति

6.1. इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्वेश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्वेश्य से आवश्यक हो ।

6.2. इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

6.3. इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

टीप : इस "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उत्पादक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण) विनियम, 2011 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

No.1807/MPERC/2011. In exercise of the powers under Section 181 read with Section 10 (3) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FURNISHING OF TECHNICAL DETAILS BY GENERATING COMPANIES) REGULATIONS, 2011

PREAMBLE

CERC has notified Regulations vide No.L-7/138/153/2008-CERC dated 14th October, 2009 namely, CERC (Furnishing of Technical Details by Generating Companies) Regulations, 2009. These Regulations stipulate every Generating Company, which on the date of commencement of the said Regulations, operating or setting up a Generating Station as referred to in clause (a) or clause (b) of Sub-Section (1) of Section 79 of Electricity Act, 2003 to furnish upto-date details in Forms A, B & C of the said Regulations specified for Furnishing of Technical details in respect of Thermal and Hydro-generating Stations by a Generating Company.

Accordingly, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission in line with the above procedure, specifies MPERC (Furnishing of Technical Details by Generating Companies) Regulations, 2011 for necessary follow up by Thermal and Hydro generators of Power in the State of M. P. The Renewable Sources of Energy, namely, Bio Mass, Biogas, Bagasse based Co-generation, Small Hydro, Wind Energy, Solar PV, Solar Thermal Power Stations have also been covered under the said provisions.

1. **Short Title and Commencement :** 1.1 These Regulations may be called **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Furnishing of Technical Details by Generating Companies) Regulations, 2011 (G-37 of 2011)".**

   1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official gazette of the Government of Madhya Pradesh.

   1.3 These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

2. **Definitions**

   In these Regulations, unless the context otherwise requires,

   (a) "**Act**" means Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

   (b) **"Commission"** means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;

   (c) **"Generating Company"** means any Company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a Generating Station;

   (d) **"Generate"** means to produce electricity from a Generating Station for the purpose of giving supply to any premises or enabling a supply to be so given. This also includes generation from renewable sources of energy;

   (e) **"Generating Station"** or **"Station"** means any Station for generating electricity, including any building and plant with Step-up Transformer, Switchgear, Switch yard, Cables or other appurtenant equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a Generating Station, and any building used for housing the operating staff of a Generating Station, and where electricity is generated by water-power, includes Penstocks, Head and Tail works, Main and Regulating Reservoirs, Dams and other Hydraulic Works, but does not in any case include any Sub-station.

3. **Submission of information:** Every Generating Company which, on the date of commencement of these Regulations is operating or setting up a Generating Station referred to in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) shall furnish to the Commission, up-to-date details prescribed in the Forms A,B and C (i) to (v) appended to these Regulations, as applicable to the type of the Generating Station, separately for each stage of the Generating Station owned by it, indicating the status as on 1st April of the year, by 30th April of every year along with soft copy of the such details.

Provided that in case of a Generating Company (other than renewable sources of energy) proposing to set up a Generating Station after commencement of these Regulations, the first report with the specified details shall be submitted at least three years before the projected Date of Commercial Operation of the first unit of the Generating Station, proposed to be set up by it.

Provided further that in case of renewable sources of energy Generating Station, details shall be furnished immediately on finalization but not later than six months prior to scheduled date of commissioning.

4. Power to remove difficulties

The Commission may remove any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations by general or special order.

5. Power to amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

6. Savings

1. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
2. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
3. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

(By the order of the Commission)

(R.K. Chaturvedi)
Commission Secretary

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.